UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 920 / 16C दिनांक 21/03/2023

सेवामें,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– **वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/10979 /2015 जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4025 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भ– **भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/231/2015/एफसी/1509 दिनांक 09.10.2020 एवं आपका पत्र संख्या 938/12–1(2) दिनांक 15.10.2020 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–

क्र0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी, इसका अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 805 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक रंखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.8050 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हों, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	अनुपालन किया जायेगा।
(ख)	राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किय जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षित हेतु वांधित धनराशि रू0 2,71,433.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 1508961109794 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न– संलग्नक–1)
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफसी (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03. 10.2006 एवं 5–3 /2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत **0.4025 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध मूल्य वसूली करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग शुद्ध वर्तमान मूल्य 0.4025 है0 एनपीवी की देय धनराशि रू0 2,64,443.00 मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 1508961109794 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक–1)।

(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्त अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एनपीवी की धनराशि में यदि कोई वृद्धि होती है तो प्रस्तावक विभाग जमा करने हेतु सहमति है, एनपीवी की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–2)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 29 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यरूवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
7	State Govt will inform ot this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage Ii approval as per guidelines para 11.2. The State Govt will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	वन निगम /वन विभाग से सम्बन्धित है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल E-Portal (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना अभिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा किए जायेंगे।	अनुपालन किया जायेगा।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा (संलग्न–3)
10	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	अनुपालन किया जायेगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा। रसोई गैंस / कैरोसिन का प्रमाण पत्र संलग्नक है–संलग्नक–4)।
15	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	भूमि की सीमांकन आरसीसी पिलरों का प्रमाण पत्र संलग्न है–संलग्नक–5)।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
17	उस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पख में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना पूर्ण की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।

20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। संलग्नक–6)।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागूं होंगी।	अनुपालन किया जायेगा। वन्य जीवों को क्षति न पहुंचाने का प्रमाण पत्र संलग्न है–संलग्नक–7)।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नीवित करने का कार्य करेगा। मलवे मको यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	अनुपालन किया जायेगा। मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र संलग्न है, संलग्नक–8)।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि यदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन आख्या E-Portal (hppps://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन आख्या E-Portal (hppps://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(इं0 जीत सिंह रावत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

O/C

प्रतिलिपि–

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

O/C

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

शाखा / Branch : RUDRAPRAYAG.

दिनांक / Date: .....

Received From .....

..... से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस / एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on: .....

बैंक/Bank: UNION BANK OF INDIA

शा/Branch: FCS CENTER 2111 III FLOOR JELITTA TOWER MISSION ROAD BENGALURU

के पक्ष में/Favouring : UTTARANCHAL CAMPA

.....

आईएफएससी कोड/IFSC Code : UBIN0996335

खाता संख्या/Account No : 150896110979 4

राशि (रुपये)/Amount Rs.	535876
बैंक प्रभार/Bank's charges Rs.	GOVT. Payment
योग/Total Rs.	535876

राशि /Rupees (in words) : .....

.....)

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/8895/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8895/2014) Construction of Mavadhar to Chamk Motor road under Distt Sector	ROAD88952014845	6188950845	26 Jul 2018	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 597870/-, 10 times tree plantation : 4620000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5217870/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 23 Aug 2018 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 02 Feb 2023 Transaction Date : 16 Feb 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/8119124212146B83WDemandnote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD88952014845)
2	FP/UK/ROAD/10979/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10979/2015) Construction of Nauli Bend to Nauli Village Motor Road under District Sector	ROAD109792015465	6110979465	09 Oct 2020	CA: 271433/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 264443/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 535876/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 02 Nov 2020 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 23 Jan 2023 Transaction Date : 10 Feb 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/10112312251210L1KX7demandletter.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD109792015465)
3	FP/UK/ROAD/11055/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11055/2015) Construction of Mamni-Uroli Motor Road under State sectore	ROAD110552015179	6111055179	01 Dec 2017	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Change User Agency : 100000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 100000/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Oct 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 07 Nov 2022 Transaction Date : 21 Dec 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/151020221157226576_FPUKROAD110552015_User_Fund_Demanded_61422.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD110552015179)
4	FP/UK/ROAD/35879/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/35879/2018) Construction of Jakhani to Tendwalgaon Motor road under District Sector	ROAD358792018491	6135879491	31 Mar 2021	CA: 552644/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 629525/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1182169/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Jul 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Oct 2022 Transaction Date : 02 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/71123121712164EIY0DemandNote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD358792018491)

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प0ख0 लो0नि0वि0

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाड़ा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

सं. 3

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No---39 **Dated-----**10-03-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.4025 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Nauli Bend to Nauli Village Motor Road Under Distt Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Nauli** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Raghav
(Dr. Raghav Langer) **Signature**
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०खं० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S** deputy commissioner **Rudraprayag** on date 10-03-2015 at time 2.00PM...at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **0.4025 hect** for the construction of **Nauli Bend to Nauli Village motor road (0.775 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:.....

Raghav

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– नौली

तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.0875 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.3150 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.4025 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौली द्वारा दिनांक 17/1/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत नौली
ह0 भुवनेश्वरी
दि0 17/1/15 ह0/...
ग्राम प्रधान
वि0 ख0 जखोली, रूद्रप्रयाग

ह0/–
ग्राम सचिव

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0)

दिनांक 17/1/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डाग

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	केसर सिंह नौली	
	दलवीर सिंह नौली	
	गोपाल सिंह नौली	
	मनवर सिंह नौली	मनवर सिंह
	गीता, नौरियाल डागी	
	आशु देवी, नौरियाल डागी	
	पदुली देवी W/o मोहन लाल	
	रुद्र लाल डागी	रुद्र लाल
	बसन्त सिंह	
	बुद्धि सिंह S/o रूपसिंह	
	दारसिंह S/o जगमनसिंह	
	बसन्ती देवी W/o वीरसिंह	बसन्ती
	जगमोहन सिंह S/o गोपालसिंह	

संलग्न है।

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत डागी
ह0 मनवर सिंह
दि0 17/1/15
वि0 ख0, रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– जखोली (रूद्रप्रयाग)

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0)** (0.0875 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.3150 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 0.4025 हे0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील जखोली)** की दिनांक 03/3/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ----------, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री लक्ष्मी रावत उपजिलाधिकारी ----जखोली----------अध्यक्ष
2– श्री ---------- ---उप प्रभागीय वनाधिकारी----------सदस्य
3– श्री हर्षवर्धन भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी------ ---सदस्य/सचिव
4– श्री ----------बी0डी0सी0 क्षेत्र ----------सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0)** परियोजना हेतु, **0.4025 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध मे ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु **0.4025 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.....
जनपद .....जखोली.....

उप जिलाधिकारी

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0

रसौई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिषासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

सं0-6

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के नव निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (वास्तविक 0.775 किमी0)–

मक डिस्पोजल प्लानिंग

Sr. No.	Material recived from hill side cutting (1/2 x 775x5.95x3.00) =	6916.88	cum
	Material received from hill side cutting including 40% of swell factor	2766.75	cum
	Total Debries	**9683.63**	**Cum**
	Disposal and Use of Material		
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:5	440.00	cum
2	R.R. Stone Masonary laid dry	1350.00	cum
3	Hand packed Stone filling	1250.00	cum
4	Construction of Wire crate	2337.00	cum
5	Construction of Parapet	100.00	cum
6	Granular sub base /base/surface	1963.00	cum
8	**Total**	**7440.00**	**cum**
9	Material Disposal by Cartage	2243.63	cum

Location and Quantity of Dabries Disposal

Name of Road	Location of dumping Yard	Size of Dumping Yard	Type of Land	Capacity of Dumping yard (cum)	Remarks
Proposed road	Km 1 Hm 0-2	50 x 8 x 3	Civil	1200.00	
Proposed road	Km 1 Hm 4-6	47 x 7.5 x 3	Civil	1057.50	
			Total	**2257.50**	

Summary of Dabries Disposal

Sr. No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in Dumping Zone
1	9683.63	2243.63	7440.00	2243.63

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag